न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2024

राज.सरकार जरिये संजीव शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री साहिद पुत्र अनवर, उम्र 22 वर्ष जाति तेली मुसलमान निवासी खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-

1—पैरोकार सरकार रसद — प्रार्थी

2—पंकज कुमार — अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 29.01.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा भरतपुर धौलपुर मार्ग पर कस्बा खानुआ की मुख्य सड़क पर अनवर की दुकान पर पहुंचे। मौके पर साहिद पुत्र अनवर दुकान पर उपस्थित मिला। दुकान एवं उसकी बगल में स्थित कमरे में जॉच करने पर 37 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के तथा 4 सिलेण्डर 05 किग्रा भराव क्षमता के मौजूद पाये। इसी कमरे में 02 विघुत मोटर पम्प जिनसे एलपीजी के हस्तान्तरण का कार्य किया जाता है, 02 प्रेशर रेग्यूलेटरों से जुडी मौजूद पाई। इसी कमरे में 06 पीतल से बांसुरीनुमा यंत्र तथा 03 प्रेसर रेग्यूलेटर पेचकस एवं प्लास मौजूद पाये। पूछताछ करने पर साहिद ने 80 रू. प्रति किग्रा की दर से टैम्पू में एलपीजी भरने का कार्य करना स्वीकार किया एवं सिलेण्डर का श्रोत मलाह इण्डेन गैस एजेन्सी को बताया। मौके पर अवैधरूप से संग्रहित एवं प्राप्त किए गये सिलेण्डर तथा अवैधरूप से घरेलू गैस का हस्तान्तरण वाहनों में करना प्रकट हुआ तथा मौके पर 05 किग्रा भराव क्षमता के 03 नॉन आईएसआई सिलेण्डरों के मिलने से तथा हस्तान्तरण के उपलब्ध यंत्रों से भी एलपीजी का अवैध व्यापार, संग्रहण एवं हस्तान्तरण करना पाया गया। इस कार्य के सम्बन्ध में कोई वांछित दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2024
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम साहिद

मौके पर बिना वैध एवं वांछित दस्तावेजों के एलपीजी गैस का अवैध व्यापार संग्रहण एवं हस्तान्तरण करना पाया जो एलपीजी के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसमें से 13 भरे हुए एवं 24 खाली 14.2 किग्रा भराव क्षमता के तथा 4 खाली सिलेण्डर 05 किग्रा भराव क्षमता के एवं 5 प्रेसर रेग्यूलेटर, 2 विधुत मोटर, 6 पीतल के बांसुरीनुमा यंत्र, पेचकस एवं प्लास को वजह सबूत जप्त सरकार किया गया एवं मौका परिस्थिति एवं सुरक्षा की दृष्टि से रूबरू मौतविरान श्री कैलाशीराम मैनेजर फर्म रूपवास इण्डेन गैस रूपवास को सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त किये गये 41 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी, 5 प्रेसर रेग्यूलेटर, 2 विधुत मोटर, 6 पीतल के बांसुरीनुमा यंत्र, पेचकस एंव प्लास को राजसात (Conficate) किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी0 की ओर से एड0 पंकज कुमार ने वकालतनामा एवं जबाव पेश किया गया, दोनों शामिल मिसिल किये गये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनीं गई। वकील अप्रार्थी ने बताया कि उसका जबाव ही उसकी बहस मानी जावे।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैधरूप से टैम्पू में एलपीजी भरने का कार्य व्यावसायिक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लंघन होने के कारण 41 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी, 5 प्रेसर रेग्यूलेटर, 2 विधुत मोटर, 6 पीतल के बांसुनीनुमा यंत्र, पेचकस एंव प्लास राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव में कथन किया है कि प्रार्थी की ऑटो रिपेयरिगं की दुकान है मौके पर मिले सिलेण्डर विभिन्न उपभोक्ताओं के हैं जो ऐजेन्सी से आने वाली गाडियों से अपने सिलेण्डरों को खाली के बदले भरा हुआ लेते हैं। चौराहे पर दुकान हाने के कारण प्रार्थी की दुकान पर यह सिलेण्डर रखे हुये थे। प्रार्थी टैम्पू में एल.पी.जी. भरने का कोई कार्य नहीं करता है। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार रसद एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी0 से मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस को अवैध रूप से टैम्पो में रिफिलिगं का कार्य व्यावसायिक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कथन कि मिले सिलेण्डर विभिन्न उपभोक्ताओं के हैं जो ऐजेन्सी से आने वाली गाडियों से अपने सिलेण्डरों को खाली के बदले भरा हुआ

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

(3)

प्रकरण / 04 / 2024
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम साबिर

रहते है। चौराहे पर दुकान होने के कारण प्रार्थी की दुकान पर यह सिलेण्डर रखे हुए थे। प्रार्थी टैम्पू में एल.पी.जी. भरने का कोई कार्य नहीं करता है। अप्रार्थी द्वारा अपने मौखिक कथनों के समर्थन में विभिन्न उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की प्रति पेश की गई है जो प्रकरण से कहीं भी रिलीवेन्ट नहीं रखती है। अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अन्य कोई भी साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी का यह कथन करना कि वह टैम्पू में एल.पी.जी. भरने का कोई कार्य नहीं करता है। स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त निरीक्षण मौके पर मिले 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसमें से 13 भरे हुए एवं 24 खाली 14.2 कि्ग्रा भराव क्षमता के तथा 4 खाली सिलेण्डर 05 कि्ग्रा भराव क्षमता के एवं 5 प्रेसर रेग्यूलेटर, 2 विद्युत मोटर, 6 पीतल के बांसुरीनुमा यंत्र, पेचकस एवं प्लास से स्पष्ट है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में एलपीजी भरने के कार्य में लिप्त था। अप्रार्थी का यह कृत्य अप्रार्थी० का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसमें से 13 भरे हुए एवं 24 खाली 14.2 किग्रा भराव क्षमता के तथा 4 खाली सिलेण्डर 05 किग्रा भराव क्षमता के एवं 5 प्रेसर रेग्यूलेटर, 2 विद्युत मोटर, 6 पीतल के बांसुरीनुमा यंत्र, पेचकस एवं प्लास को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0वि0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे, साथ ही जप्त 2 विद्युत मोटर, 6 पीतल के बांसुरीनुमा यंत्र, पेचकस एवं प्लास का भी नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर